– 58

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–07/2026 5176 /पटना, दिनांक– 29.4.26

संवेदक Rupam Kumari (Reg. No. 1220040), W/O Rajeev Kumar Singh, At - Ward No. 14, Sakhmohan, Post - Sakhmohan, Ps - Bibhutipur, Dist - Samastipur, Bihar - 848211 को कार्य प्रमंडल, फुलपरास के अधीन MR (3054) योजनान्तर्गत Domra Chowk NH 104 to Via Singrahi, Laukahi Bazar, Nahar Chowk to Bihul River NH 104 पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:– 14MBD/2023-24 के तहत संदर्भित पथ का कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.07.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 12.04.2024 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तद्आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास के सकारण आदेश संख्या 805 दिनांक 23.05.2025 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:– 14MBD/2023-24 को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 668 अनु0 दिनांक 16.01.2026 एवं पत्रांक 2492 दिनांक 23.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु संबंधित संवेदक को निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य दिनांक 15.11.2025 को ही पूर्ण कर दिया गया है। स्थानीय कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता के देख–रेख में पूर्ण किया गया है और उनके संज्ञान में भी है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास के पत्रांक 627 अनु0 दिनांक 02.04.2026 के साथ संलग्न जॉच–प्रतिवेदन में कहा गया है "इस प्रकार 0.272 कि0मी0 में पी0सी0सी0 सहित 0.020 में बिटुमिनस कार्य शेष है। इस प्रकार 0.292 कि0मी0 लम्बाई में कार्य लम्बित है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया है। विदित हो कि संवेदक के द्वारा किये गये पी0सी0सी0 कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं पायी गयी है।"

उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि संवेदक के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भ्रामक और असत्य कथन का सहारा लिया गया है, जो उचित नहीं है। समीक्षोपरान्त संवेदक के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Rupam Kumari (Reg. No. 1220040), W/O Rajeev Kumar Singh, At - Ward No. 14, Sakhmohan, Post - Sakhmohan, Ps - Bibhutipur, Dist - Samastipur, Bihar - 848211 के निबंधन संख्या:–1220040, PAN No.CMHPK9856P को अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

27.04.26

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

P.T.O

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–07 / 2026 5176 / पटना, दिनांक– 29.4.26

प्रतिलिपि– संवेदक Rupam Kumari (Reg. No. 1220040), W/O Rajeev Kumar Singh, At - Ward No. 14, Sakhmohan, Post - Sakhmohan, Ps - Bibhutipur, Dist - Samastipur, Bihar - 848211 को सूचनार्थ प्रेषित।

27.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–07 / 2026 5176 / पटना, दिनांक– 29.4.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–07 / 2026 5176 / पटना, दिनांक– 29.4.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–07 / 2026 5176 / पटना, दिनांक– 29.4.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–07 / 2026 5176 / पटना, दिनांक– 29.4.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

27.04.26

अभियंता प्रमुख